

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रमांक प. 4(1)स्टे.मो.गै./95

जयपुर, दिनांक 23 नवम्बर, 2011

परिपत्र

राज्य के सभी विभागों के राजकीय वाहनों के ईंधन (Fuel) का प्रतिलीटर औसत निर्धारण करने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति की अभिशंका के आधार पर अग्रिम आदेश तक Swift Dzire वाहनों का औसत 13.30 किलोमीटर/प्रतिलीटर निर्धारित किया जाता है ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

R/Sec
20/11/2011

प्रमुख शासन सचिव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-
1. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर ।
 2. निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, शाहजहाँ रोड, जयपुर ।
 3. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान ।
 4. सहायक विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
 5. नियंत्रक एवं पदेन उप सचिव, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर ।
 6. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग ।
 7. वित्त (व्यय-2) विभाग ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर ।
5. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर ।
6. रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव

777

राजस्थान सरकार
स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्रम सं: प-4818 स्टे-मो-गे/95

जयपुर, दिनांक: 20-01-2005

पत्रिका

इस विभाग द्वारा निम्न वाहनों के न्यूनतम औसत निधारण के क्रम में जारी सभी आदेशों को अतिक्रमित करते हुए स्टेट मोटर गैराज एवं राज्य के अन्य विभागों के वाहनों हेतु न्यूनतम न्यून औसत तत्काल प्रभाव से 9 किलोमीटर प्रति लीटर निधारित किया जाता है:-

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. एम्बेडर इण्डिया/कॉन्टैसा | 8. स्कोर पोओ |
| 2. प्रिमीयर एन-ई-118 | 9. कुवातिस |
| 3. एस्टीम | 10. टाटा सफारी |
| 4. इलीनो/ब्रलीनो | 11. टाटा एस्टेट |
| 5. मासते 800 | 12. वो.पी कार |
| 6. महेंद्र बेलारो | 13. जिन्सी |
| 7. जीप | 14. इण्डिका |
| 8. | |

यह न्यूनतम औसत सीमा जयपुर शहर के अतिरिक्त सम्पूर्ण राज्य के लिए निर्धारित की गई है। जयपुर महानगर को कन्स्ट्रैटेड ट्रेफिक सिग्नल को ध्यान में रखते हुए यह सीमा 3 किलोमीटर प्रति लीटर रहेगी।

All Duty Clerks to note and comply

20/01/05

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार, राज0, जयपुर।
2. सहायक सहायक आयुक्त / जिना कलेक्टर, राजस्थान।
3. सहायक विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
4. निदेशक, स्टेट मोटर गैराज, जयपुर।
5. निवासीय आयुक्त, बीकानेर हाउस, साहजहाँ रोड, नई दिल्ली।
6. लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन, जयपुर-4 विभाग।
7. वित्त, जय-2 विभाग।

राजेश उपाय सचिव

राजेश उपाय सचिव

प्रतिनिधि निम्न को भी सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्व महानि, अजमेर।
6. सचिव, जयपुर।

राजेश उपाय सचिव

सं/171